भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

फार्म–7 FORM-7

[निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 का नियम 13(2) और 26 देखिए]
(See Rules 13(2) and 26) of Registration of Electors Rule-1960

उत्तराखण्ड सरकार

पावती संख्या........................
Acknowledgement No.____________
(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा) (To be filled by office)

मृत्यु/स्थान परिर्वतन के कारण निर्वाचक नामावली में अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने का आक्षेप/अपना नाम हटाने/किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आवेदन

Application for Objecting Inclusion of Name of Other Person / Seeking Deletion of Own Name/Seeking Deletion of Any Other Person's Name in Electoral Roll due to Death/Shifting.

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर,
.... सभा निर्वाचन क्षेत्र/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

To,
The Electoral Registration Officer,
...Assembly / Parliamentary Constituency

मै निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आपेक्ष करता हूँ।
I hereby object to the proposed inclusion of the name of the under mentioned person in the electoral roll ☐

मैं निवेदन करता हूँ नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम से संबंधित प्रविष्टि को हटाया जाना अपेक्षित है।
I hereby request that entry relating to name of the person mentioned below is required to be deleted ☐

मैं निवेदन करता हूँ कि निर्वाचक नामावली से मुझसे संबंधित प्रविष्टि हटाई जानी है।
I request that the entry relating to myself is to be deleted from Electoral Roll ☐

मेरे आक्षेप या हटाए जाने के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी जा रही है: Particulars in support of my objection/deletion are given below:-

आवेदन की विशिष्टियां **Particulars of the applicant**			
(क) नाम Name			
(ख) उपनाम(यदि कोई हो) Surname(if any)			
(ग) भाग संख्या (c) Part No.	☐ ☐ ☐ ☐	(घ) क्रम संख्या (d) Serial No.	☐ ☐ ☐ ☐
(ड.) ईपीआईसी सं0 (यदि जारी की गई हो) (e) EPIC No. (If issued)			

उस व्यक्ति के ब्यौरें जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप किया गया है या जिसकी प्रविष्टि हटाई जानी है: **Details of person inclusion of whose name is objected to/whose entry is to be deleted:**			
क) नाम (a) Name			
(ख) उपनाम(यदि कोई हो) (b) Surname(if any)			
(ग) भाग संख्या (c) Part No.	☐ ☐ ☐ ☐	(घ) क्रम संख्या (d) Serial No.	☐ ☐ ☐ ☐
(ड.) ईपीआईसी सं0 (यदि जारी की गई हो) (e) EPIC No. (If issued)			
(च) आक्षेप/हटाए जाने के कारण (f) Reason(s) for objection/deletion:			

घोषणा –मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टयां मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और मुझे मालूम है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसे मैं जानता हूँ या विश्वास करता हूँ कि असत्य है या जिसके सत्य होने पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है।

Declaration:- *I hereby declare that the facts and particulars mentioned above are true to the best of my knowledge and belief. I am aware that making a statement or declaration which is false and which I know or believe to be false or do not believe to be true, is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).*

स्थान Place

दिनांक Date

आवेदक के हस्ताक्षर...............................

signature of Applicant......................

क्षेत्र स्तर सत्यापन अधिकारी की टिप्पणी

Remarks of Field Level Verifying Officer:

की गई कार्यवाही के ब्यौरे (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा भरा जाना) Details of action taken (To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency)

श्री/श्रीमती/कुमारी...जो...का/की निवासी है, का प्ररूप 7 में निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है/नामंजूर कर दिया गया है।

स्वीकार करने (नियम 18/20/26(4) या उसके अनुसरण में) या नामंजूर करने (नियम 17/20/26(4) या उसके अनुसरण में) के लिए विस्तृत कारण नीचे दिए गए हैं।

The application of Shri / Shrimati/ Kumari ....objecting to inclusion/ seeking deletion of name of Shri / Shrimati/ Kumari .... in the electoral roll in Form 7 has been accepted/rejected. Detailed reasons for acceptance [under or in pursuance of rule 18/20/26(4)] or rejection [under or in pursuance of rule 17/20/26(4)] are given below:

स्थान Place

दिनांक Date

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

Signature of ERO & Seal

लिए गए विनिश्चय की सूचना (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है और अभ्यर्थी के रिकार्ड पर उपलब्ध पते पर डाक द्वारा भेजा जाना है।

Intimation of decision taken (to be filled by Electoral Registration Officer of the constituency and to be posted to the applicant on the address available in the record)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... का प्ररूप 7 में आवेदन

The application in Form 7 of Shri/Shrimati/Kumari...

निर्वाचक रजिस्टीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रेषण के समय डाक टिकट चस्पा किए जाने हैं

Postage Stamp to be affixed by the Electoral Registration Authority at the time of dispatch

वर्तमान पता, जिस पर आवेदक मामूली रूप से निवास करता है Current address where applicant is ordinarily resident	गृह सं. House No.		
गली/क्षेत्र/स्थान Street/Area/Locality			
शहर/ग्राम Town/Village			
डाक घर Post Office		पिनकोड Pin Code	
जिला District		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र State/UT	

(क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी...के नाम को निर्वाचन क्षेत्र के भाग संख्या................................ ....क्रम सं0.......................................से हटा दिया है।

Has been (a) accepted and the name of Shri/Shrimati/Kumari...has been deleted from.. Part No.................................... of AC No..

(ख) .... कारण से अस्वीकृत कर दिया गया है।

(b) rejected for the reason...

तारीखः Date:

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

Electoral Registration Officer

पता...

Address..

पावती/रसीद

Acknowledgement/Receipt

पावती सं. —————————— तारीख ———————————

Acknowledgement Number ______________ Date ______________

श्री/श्रीमती/कुमारी —————————— ———————————————— का प्ररूप 7 में आवेदन प्राप्त हुआ है

[आवेदक आवेदन की स्थिति जांचने के लिए पावती सं. निर्दिष्ट कर सकता है]

Received the application in form 7 of Shri / Smt. / Ms. ____________________________

[Applicant can refer the Acknowledgement No. to check the status of application].

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

Name/Signature of ERO/AERO/BLO

दूरभाष नं0 लै0 लाईन/ टोल फ्री–	उत्तरकाशी– 01374–222177 01374–1950	चमोली– 01372–252139 01372–1950	रूद्रप्रयाग– 01364–233352 01364–1950	टिहरी गढ़वाल– 01376–232164 01376–1950	देहरादून– 0135.2624216 0135–1950	हरिद्वार.– 01334.239942 01334.1950	पौड़ी–गढ़वाल 01368–222217 01368–1950
	पिथौरागढ़ 05964–225236 05964–1950	बागेश्वर 05963–220380 05963–1950	अल्मोड़ा 05962–230010 05962–1950	चम्पावत 05965–230296 05965–1950	नैनीताल 05942–235284 05942–1950	उधमसिंहनगर 05944–246787 05944–1950	

प्ररूप–7 के साथ संलग्न होगा
To be appended to Form-7

आवेदन प्ररूप–7 भरने के लिए दिशा–निर्देश
GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION
प्ररूप–7 FORM-7

कौन प्ररूप–7 दाखिल कर सकता है How to Fill up form-7

1. आवेदन उस निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए जिसमें उस नामावली में पंजीकृत दूसरा निर्वाचक प्रारूप निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि के प्रस्तावित अंतर्वेशन के प्रति आपत्ति व्यक्त करता है। निर्वाचन–क्षेत्र के नाम का खाली स्थान में उल्लेख होना चाहिए।

1.The application should be addressed to the Electoral Registration Officer of the constituency in which another elector registered in that roll objects the proposed inclusion of an entry in the draft electoral roll. The name of the constituency should be mentioned in the blank space.

2. उस व्यक्ति का विवरण जिसके नाम का अंतर्वेशन करने में आपत्ति व्यक्त की गई है/उस व्यक्ति का विवरण जिसकी प्रविष्टि विलोपित की जानी है:

तीन विकल्पों में से पहला विकल्प निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात संगत होता है। दूसरे शब्दों में, नामावली के अंतिम प्रकाशन के समय विलोपनों की सूची में प्रारूप नामावली में आक्षेपित प्रविष्टि को दर्शाना। दूसरा विकल्प निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात सतत अद्यतनीकरण के दौरान संगत होता है। दूसरे शब्दों में, अंतिम निर्वाचक नामावली में पहले से ही अंतर्वेशित प्रविष्टि के विलोपन के लिए।
(कृपया प्ररूप भरते समय उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं)

सिवाय उस व्यक्ति के नाम के, जिसकी प्रविष्टि के अंतर्वेशन पर आपत्ति की गई है या जिसके विलोपन की अपेक्षा की गई है, निर्वाचक नामावली के अन्य विवरण, **निर्वाचक नामावली के उस भाग के प्रविष्टि की भाग सं0, क्रम सं0 और उस व्यक्ति को जारी किये गये पहचान कार्ड की संख्या (मद (क), (ख),(ग) एवं (घ)** भी भरी जानी अपेक्षित है। ये विवरण निर्वाचक नामावली के संबंधित भाग में उपलब्ध है। निर्वाचक नामावली की **भाग सं0** निर्वाचक नामावली के दायें शीर्ष कोने में मुद्रित होती है। प्रत्येक प्रविष्टि को एक क्रम संख्या दी गयी है। कृपया निर्वाचक नामावली की जांच करें और वह क्रम संख्या लिखें जिसमें उस व्यक्ति का नाम जिसकी प्रविष्टि पर आपत्ति की गई है या विलोपन की अपेक्षा की गई है, सूचीबद्ध है। यदि उस व्यक्ति को पहले ही पहचान कार्ड जारी किया जा चुका है तो उसकी संख्या भी उस प्रविष्टि के सामने मुद्रित होगी। कृपया दिए गए स्थान में उस पहचान कार्ड की पूरी संख्या लिखें।

प्रत्येक प्रविष्टि के अंतर्वेशन पर आपत्ति व्यक्त करने/विलोपन चाहने के लिए तीन में से प्रत्येक विकल्पों के लिए अलग–अलग आवेदन दाखिल किए जाने अपेक्षित है। दूसरे शब्दों में, केवल एक विकल्प को चुनने की अनुमति है।

2. Details of person inclusion of whose name is objected to / Details of person whose entry is to be deleted:

Out of the three options, the first option is relevant after draft publication of electoral roll during revision of electoral roll. In other words, to show the objected entry in the draft roll in the list of deletions at the time of final publication of the roll. The second option is relevant during continuous updation after final publication of electoral roll. In other words, for deletion of an entry already included in the final electoral roll.
(Please tick the appropriate alternative while filling up the Form)

Besides the name of the person whose entry is objected for inclusion or sought to be deleted, the other details of the electoral roll Part No., Serial No. of the entry in that Part of electoral roll and Identity Card No issued to that person (Items (a), (b), (c) and (d)) are also required to be filled up. These details are available in the relevant part of electoral roll.The Part No. of the electoral roll is printed on the right hand top corner of the electoral roll. Every entry is given a serial number. Please check the electoral roll and write the serial number at which the name of the person whose entry is objected for inclusion/sought to be deleted is listed. In case the person has already been issued an Identity Card that No. is also printed against that entry. Please write that card no. in full in the space provided.

Separate Application is required to be filed for each of the three alternatives for objecting inclusion/seeking deletion of each entry. In other words, the only one alternative is allowed to be opted.

3. आपत्तिकर्ता का विवरण

कोई ''आपत्तिकर्ता'' प्ररूप–7 में केवल उन्ही व्यक्तियों के संबंध में आवेदन **दाखिल** कर सकता है जिनका नाम निर्वाचक नामावली के उसी भाग में शामिल है, जहां आपत्तिकर्ता पंजीकृत है। आपत्तिकर्ता को दिए गए स्थान (मद (क), (ख),(ग) एवं (घ) एवं (ड.) में अपना नाम, उपनाम सहित, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या और वह क्रम संख्या, जिस पर निर्वाचक नामावली के उस भाग में उसका नाम पंजीकृत है, भरनी है।

3. Details of objector

An "Objector" can file Application in Form 7 only in respect of persons included in the part of the electoral roll in which he/she is registered. The objector has to fill up in the space (item (a) , (b), (c) and (d) and (e)) provided his/her name including surname, part no. of electoral roll and serial number at which his/her name is registered in that part of the electoral roll.

4. आपत्ति / विलोपन का / के कारण

आवेदक 'आपत्तिकर्ता' को मद (च) में वह / वे कारण अवश्य विनिर्दिष्ट करना / करने चाहिए कि उसके अनुसार जिसके नाम पर आपत्ति की जा रही है वह निर्वाचक नामावली के उस भाग में अंतर्वेशित किए जाने के लिए क्यों निरर्ह है अर्थात् मृत्यु हो जाने के कारण, स्थानान्तरण के कारण पंजीकृत पते पर सामान्य रूप से निवास न करने के कारण इत्यादि। नाम के विलोकन के लिए दिए गए कारणों इत्यादि। नाम के विलोपन के लिए दिए गए कारणों को सिद्ध करने के लिए सबूतों को प्रस्तुत करने का दायित्व आपत्तिकर्ता का होगा।

4. Reason(s) for objection / deletion

The applicant 'objector' must specify the reason(s) in item (f) as to why according to him/her the person whose name is objected is not qualified for inclusion in that part of electoral roll viz. Due to death, due to shifting, not ordinarily residing at the registered address etc. The onus of proof to substantiate the reason given for removal of the name lies with the Objector.

5. घोषणा

आवेदक आवेदन के आखिरी भाग में आवेदक को यह घोषणा अवश्य देनी चाहिए कि आवेदन में उल्लिखित तथ्य एवं विवरण उसकी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। आवेदक जिस तारीख से दिए गए पते पर निवास कर रहा है। उसका सुस्पष्ट रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए। मिथ्या घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है।

5. Declaration

In last part of the Application, the applicant must give a declaration that the facts and particulars mentioned in the application are true to the best of his/her knowledge and belief. The date from which the applicant is residing at the given address should be clearly mentioned. Giving a false declaration is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950.

****